संख्या /VI-I/2007–2(6)2007–टी.सी.

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला कीडा अधिकारी,
उत्तरकाशी, हरिद्वार,पिथौरागढ, चम्पावत,
उत्तराखण्ड।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक 28 फरवरी 2008

विषयः जिला योजना 2007–08 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, खेल निदेशालय के पत्र संख्या– 4147/ब0प0/2007–08 ,दिनांक– 19 दिसम्बर 2007 एवं अपर सचिव नियोजन के पत्र संख्या 2076/1–जि0यो0/2007–08 दिनांक 27 नवम्बर 2007 तथा शासनादेश संख्या 302/ /VI-I/2007–2(6)2007 दिनांक 23–8–07 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि से रूपये 42.30 लाख (रू0 बयालीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो के आधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

धनराशि(लाख रू0 में)

क0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृति धनराशि
1	2	3
2.	हरिद्वार	18.30
5.	उत्तरकाशी	10.00
10.	पिथौरागढ	6.00
12.	चम्पावत	8.00
	योग	42.30

2. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती हैं कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. जहां आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन योजना पर एवं वित्तीय व्यय की प्रस्ताव पर प्राप्त कर लिया जायेगा। जहां निर्माण कार्य किये जाने हो वहां आगणनों पर शासन का अनुमोदन नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा। सामग्री एवं उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और यह दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन)विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

4. यह व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है। धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या 2076/1–जि0यो0/2007–08दिनांक 27 नवम्बर 2007 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्तीय मितव्ययित एवं प्रकियाओं संबंधी समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
8. उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
9. उक्त के सापेक्ष होने वाला 2007–2008 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम –102–खेल कूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर) –91–जिला योजना–9103–कीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण–24 बृहद निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0 वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्याः-76/VI-I/2007–2(6)2007– टी.सी. तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, खेल, निदेशालय देहरादून।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
4– निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा0 खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी,हरिद्वार,पिथौरागढ,चम्पावत,उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढद्व व चम्पावत उत्तरखण्ड।
8– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव